प्रेस नोट

दिनांक 16.09.2025

थाना बिवांर पुलिस द्वारा अवैध तमंचा/ कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण एंव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 16.09.2025 को थाना बिवांर पुलिस द्वारा अभियुक्त रवि पुत्र पप्पू निवासी ग्राम हमरामऊ थाना सजेती जनपद कानपुर नगर, हाल पता ग्राम छानी खुर्द थाना बिवांर जनपद हमीरपुर को एक अदद अवैध तमंचा/ कारतूस के साथ छानी से अतरार जाने वाले रोड पर लगे मोबाइल टॉवर के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 176/2025 धारा- 9(1)(क)(1)/25 A ACT पंजीकृत करते हुए मान0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

उल्लेखनीय है कि उक्त अभियुक्त का अवैध शस्त्र के साथ वीडियो/फोटो सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित हुआ था, जिस पर थाना बिवांर पुलिस द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए विधिसम्मत कार्यवाही अमल में लाई गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

रवि पुत्र पप्पू (उम्र करीब 19 वर्ष) निवासी ग्राम हमरामऊ थाना सजेती जनपद कानपुर नगर हाल पता ग्राम छानी खुर्द थाना बिवांर जनपद हमीरपुर ।

बरामदगी का विवरण:

एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 विकास यादव

2.उ0नि0 राजेश पाण्डेय

3.का0 राजेश यादव

4.का0 छोटेलाल यादव